

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक लेखे

2020-21

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन (म.प्र.) 456006

दूरभाष : (0734) 2502266, 2502254, फैक्स : (0734) 2502253

ई-मेल : msrvvpujn@gmail.com, वेबसाइट - www.msrvvp.ac.in

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
के 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखों पर भारत के नियन्त्रक
एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के संलग्न तुलन पत्र 31 मार्च 2021 तक, आय-व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा मार्च 2021 के अन्तिम दिनांक तक भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षण किया है। लेखापरीक्षा का कार्य वर्ष 2018-19 से 2022-23 अवधि तक सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के प्रबन्धन पर है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के आधार पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा पद्धति व्यवहार का वर्गीकरण, बेहतर लेखा प्रणाली की पुष्टि, स्वीकार्य लेखा मानक एवं प्रकटन प्रतिमानक सम्बन्धी आदि टिप्पणियों का समावेश है। यदि वित्तीय संव्यवहारों में नियम, कानून एवं नियमन (गुण एवं दोष) और दक्षता एवं निष्पादन सम्बन्धी आदि कोई कमी है, तो ये लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट/लेखापरीक्षक रिपोर्ट में पृथक रूप से प्रेषित किया जाता है।
3. हमने लेखा परीक्षण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षण मानकों एवं लागू नियमों के अनुसार संचालित किया है। वित्तीय विवरण तात्काल अशुद्धता से रहित है, यह सुनिश्चित करने हेतु हमने लेखापरीक्षण मानकों के आधार पर योजनाबद्ध किया है और वित्तीय विवरण में वित्त से सम्बन्धित साक्ष्य के आधार पर किया है। लेखा परीक्षण में लेखा सिद्धान्त के प्रयोग नमूना जाँच, धनराशियों से समर्थक साक्ष्य एवं प्रतिष्ठान द्वारा सार्थक आकलन और मूल्यांकन एवं वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण सम्मिलित हैं। लेखा परीक्षण में निर्धारित लेखा सिद्धान्तों के आधार पर प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण प्राक्कलन एवं वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी किया गया है। हमें विश्वास है कि हमारा अभिमत लेखा परीक्षण को उचित आधार प्रदान करता है।
4. हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर हम यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि -
 - (i) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं।
 - (ii) लेखा परीक्षण में तुलना-पत्र एवं आय-व्यय लेखों, प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखों से सम्बन्धित जानकारी आदेश क्रमांक 29-4/2012-आई एफ डी दिनांक 17 अप्रैल 2015 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा निर्धारित स्वीकृत प्रारूप में प्रस्तुत की गई है।

(iii) हमारे अभिमत के अनुसार प्रतिष्ठान द्वारा उचित लेखा पुस्तकें एवं अन्य संगत रिकार्ड रखे गये हैं जो कि लेखा परीक्षण के दौरान प्रस्तुतिकरण से प्रतीत हुए।

(iv) हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि -

अ. तुलना पत्र

अ.1. निधियों के स्रोत -

अ.1.1. अचल संपत्तियां (अनुसूची-4) – 28.97 करोड़ रुपये

पूँजीगत कार्य-प्रगति: निरंक

इसमें सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर खर्च किए गए 0.98 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं, जिस पर 31.03.2021 तक पूरे कार्यों के एक हिस्से के रूप में 0.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिन्हें उप-शीर्ष पूँजीगत कार्य के तहत (CWIP) अचल संपत्तियों में (अनुसूची -4) में दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों (सीपीडब्ल्यूआईपी के रूप में) को कम बताया गया और कॉर्पस/पूँजीगत निधि को 0.98 करोड़ से कम बताया गया।

ब. आय और व्यय खाता

ब.1 आय रु. 51.51 करोड़

अधिशेष रु. 13.80 करोड़

रु. 45.99 करोड़ को राजस्व व्यय के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में आय और व्यय विवरण में आय के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि, अनुदान/सब्सिडी के लिए अनुसूची-10 से पता चला कि रु. 35.17 करोड़ का अनुदान राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया था। यह अनुसूची -10 के एमओई प्रारूप के उल्लंघन में था जो निर्धारित करता है कि राजस्व व्यय के लिए उपयोग की गई अनुदान की राशि ही आय और व्यय खाते में आय के रूप में दिखाई देगी। इसके परिणामस्वरूप आय के साथ-साथ अधिशेष में रु. 10.82 करोड़ अधिक दिखाया गया है।

बी.2 व्यय

मरम्मत और रखरखाव (अनुसूची-19)- रु. 28.23 लाख

इसमें अचल संपत्तियों पर किए गए खर्च रुपये 0.99 लाख (बागवानी के उद्देश्य से जल वितरण प्रणाली पर किया गया व्यय, जो प्रकृति में पूँजी था) शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप रुपये 0.92 लाख से अधिक व्यय का विवरण दिया गया। (रु. 0.99 लाख कम मूल्यहास @ 7.5%) साथ ही समान राशि से कॉर्पस और अचल संपत्तियों को कम करके दिखाया गया है।

- स.** **सामान्य**
1. तुलन पत्र में अधिशेष/घाटे का चित्रण मंत्रालय द्वारा जारी खातों के प्रारूप के अनुसार नहीं है। पिछले पृथक लेखा प्रतिवेदन में भी यही आपत्ति उठाई गई थी लेकिन चित्रण अभी भी प्रारूप के अनुसार नहीं है।
 2. पात्र कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर नहीं किया गया है। पिछले वर्ष पृथक लेखा प्रतिवेदन में भी यही अवलोकन किया गया था लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
 3. अप्रयुक्त अनुदान से संबंधित अनुसूची -3 (सी) तैयार नहीं की गई है और साथ ही अनुसूची-8 में दर्शाए गए 6.48 करोड़ के पून्जीगत अग्रिम को चालू देयताओं एवं प्रावधानों (अनुसूची-3) के अंतर्गत अप्रयुक्त अनुदान में शामिल नहीं किया गया है।
 4. अनुदान के अंतिम शेष के अनुसार, अप्रयुक्त अनुदान रूपये 26.16 करोड़ (6.48 करोड़ रूपये की पूंजी के प्रति अग्रिम सहित) होना चाहिये जबकि अनुसूची-3 में अप्रयुक्त अनुदान को रु. 13.52 करोड़ दर्शाया गया है। इसके लिए सुलह और सुधार की जरूरत है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

उपरोक्त टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव यह है कि देनदारियों और संपत्ति दोनों को 98.92 लाख रूपये से कम किया दिखाया गया और आय, व्यय और अधिशेष को क्रमशः 1082.00 लाख रूपये, 0.92 लाख रूपये और 1082.00 लाख रूपये से अधिक बताया गया।

द. अनुदान-सहायता -

चालू वर्ष में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन ने रूपये 45.99 करोड़ अनुदान राशि प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष के रु. 15.34 करोड़ अनुदान अवशेष था। अतः कुल उपलब्ध रु. 61.33 करोड़ कोष में से रु. 35.17 करोड़ को उपयोग कर रु. 26.16 करोड़ अवशेष छोड़ दिया गया है। अप्रयुक्त अनुदानों में 6.48 करोड़ रूपये की पूंजी के विरुद्ध अग्रिम शामिल है

ई

प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियों को निदेशक, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के संज्ञान में उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से लाया गया है।

- (v) पूर्ववर्तीं पैराओं में की गई टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलना पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखा पुस्तकों के अनुरूप निपटाये गये हैं।
- (vi) हमारी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियाँ और लेखा पर टिप्पणियों के साथ उपर्युक्त पढ़ा गया और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों के अधीन एवं अन्य मामले जो लेखा परीक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट में उल्लिखित हैं, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं -
- अ. जहाँ तक कि यह म.सा.रा.वे.वि.प्र. की 31 मार्च 2021 तक तुलन-पत्र की परिस्थिति से सम्बन्धित है।
- ब. जहाँ तक कि यह उस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष में आय और व्यय खाते के अधिशेष से सम्बन्धित है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान :

दिनांक :

ह. / -

हस्ताक्षर किये गये
अंकेक्षण के महानिदेशक
(केन्द्रीय प्राप्ति)

परिशिष्ट

1. आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति की पर्याप्तता

आन्तरिक लेखा परीक्षण चार्टर्ड अकाउटेंट फर्म द्वारा किया गया।

2. आन्तरिक लेखा परीक्षण पद्धति की पर्याप्तता

आन्तरिक लेखा परीक्षण पद्धति अपर्याप्त पाई गई, क्योंकि -

- (i) आन्तरिक अंकेक्षण नियमावली नहीं है।
- (ii) नियन्त्रक एवं महालेखाकार के वर्ष 04/2012 से 02/2021 तक के निरीक्षण प्रतिवेदन के 27 पैरा लम्बित रहे।
- (iii) संस्थान में ऊर्जा दक्षता उपायों के परियोजना कार्यान्वयन के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों के लिए स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी और साथ ही प्रतिस्थापित वस्तुओं की सूची भी नहीं की गई थी।
- (iv) सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237(i) के अनुसार एक स्वायत्त निकाय को 30 जून तक अपने स्वीकृत और प्रमाणित खातों को संबंधित लेखा परीक्षा कार्यालय में जमा करना चाहिए। तथापि, संस्थान ने अपने वार्षिक लेखे 11.11.2021 को लेखापरीक्षा को चार माह से अधिक विलंब के साथ प्रस्तुत किए।

3. परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन पद्धति

वर्ष 2020-21 के दौरान परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन पद्धति

वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया गया।

5. सांविधिक देयराशि के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देयराशियों के भुगतान में कोई विसंगति नहीं पाई गई।

ह./-

हस्ताक्षर किये गये

वास्ते वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी. - II

प्रतिष्ठान द्वारा व्याख्याएँ

लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2020-21 पर लेखा नियंत्रक, नईदिल्ली

शाखा ज्वालियर द्वारा की गई टिप्पणियाँ पर प्रतिष्ठान द्वारा व्याख्या


टिप्पणियाँ	प्रतिष्ठान द्वारा व्याख्या
<p>अ. तुलना पत्र</p> <p>अ.1. निधियों के स्रोत -</p> <p>अ.1.1. अचल संपत्तियाँ (अनुसूची-4) – 28.97 करोड रुपये</p> <p>पूंजीगत कार्य-प्रगति: निरंक</p> <p>इसमें सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर खर्च किए गए 0.98 करोड रुपये शामिल नहीं हैं, जिस पर 31.03.2021 तक पूरे कार्यों के एक हिस्से के रूप में 0.98 करोड रुपये खर्च किए गए हैं, जिन्हें उप-शीर्ष पूंजीगत कार्य के तहत दर्शाया जाना चाहिए (CWIP) अचल संपत्तियों में (अनुसूची -4)। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों (सीडब्ल्यूआईपी के रूप में) को कम बताया गया और कॉर्पस/पूंजीगत निधि को 0.98 करोड से कम बताया गया।</p>	<p>प्रतिष्ठान के परिसर में निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी, इंदौर मंडल के माध्यम से किया जा रहा है। उनसे माहवार व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-65 में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। हालांकि, प्रतिष्ठान ने फरवरी-2021 के महीने में जमा 3.72 करोड राशि में से 0.98 करोड रु. व्यय का कोई मद-वार विवरण प्रदान किए बिना फॉर्म-65 प्राप्त किया। इंदौर-उज्जैन क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर कोविड महामारी के कारण सीपीडब्ल्यूडी प्रतिष्ठान के अनुरोध के बावजूद 31.03.2021 तक कोई और विवरण प्रदान नहीं कर सका। चूंकि यह राशि वर्ष 2020-21 के लिए मध्यवर्ती सूचना थी और सीपीडब्ल्यूडी से विवरण के साथ मार्च-2021 तक कोई और व्यय रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी एवम् वर्ष 2020-21 के लिए खातों में लेखांकन प्रविष्ट नहीं की जा सकी। अतः यह निवेदन है कि मार्च-2022 तक की व्यय राशि सभी मदों के अंतर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से पृथक रूप से प्राप्त कर वर्ष 2021-22 के खातों में दर्ज की जायेगी।</p>
<p>ब. आय और व्यय खाता</p> <p>ब.1 आय रु. 51.51 करोड</p> <p>अधिशेष रु. 13.80 करोड रुपये की राशि। 45.99 करोड को राजस्व व्यय के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में आय और व्यय विवरण में आय के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि, अनुदान/सब्सिडी के लिए अनुसूची-10 से पता चला कि रु. 35.17 करोड का अनुदान राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया था। यह अनुसूची -10 के एमओई प्रारूप के उल्लंघन में था जो निर्धारित करता है कि राजस्व व्यय के लिए उपयोग की गई अनुदान की राशि ही आय और व्यय खाते में आय के रूप में दिखाई देगी। इसके परिणामस्वरूप आय के साथ-साथ अधिशेष में रु. 10.82 करोड अधिक दिखाया गया है।</p>	<p>रु. वर्ष 2020-21 के दैरान प्राप्त अनुदान एवं राजस्व व्यय रु. 45.99 करोड को अनुसूची-10 में दर्शाया गया है। 35.17 करोड भी अनुसूची-10 में ही दिखाए गए हैं।</p> <p>आय-अनुदान/सब्सिडी (Sch-10) – रु. 45,98,60,000/-</p> <p>व्यय -अन्य व्यय (Sch-21) – रु. 35,16,87,286/-</p> <p>प्राप्त अनुदान और किए गए व्यय के बीच का जंतर रु. 10.82 करोड, जो, यदि आय और व्यय खाते में परिलक्षित नहीं होता है, तो माना जायेगा कि आय को कम करके दिखाया गया है। इसलिए, आय और व्यय खाते में दिखाई गई राशि-“अनुदान/सब्सिडी (रुपये 45,98,60,000/-) के तहत आय के रूप में सही ढंग से दिखाया गया है।</p>
 (डॉ. अनूप कुमार मिश्र) अनुभाग अधिकारी (प्र.) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन	 (प्रो. विलसपा अकाश) सचिव म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन

<p>बी.2 व्यय</p> <p>मरम्मत और रखरखाव (अनुसूची-19)- रु. 28.23 लाख</p> <p>इसमें अचल संपत्तियों पर किए गए खर्च रुपये शामिल हैं। 0.99 लाख (वागवानी के उद्देश्य से जल वितरण प्रणाली पर किया गया व्यय, जो प्रकृति में पूँजी था)। इसके परिणामस्वरूप रुपये से अधिक व्यय का विवरण दिया गया। 0.92 लाख (रु. 0.99 लाख कम मूल्यहास @ 7.5%) के साथ समान राशि से कॉर्पस और अचल संपत्तियों को कम करके दिखाया गया है।</p>	<p>लेखापरीक्षा का अवलोकन नोट किया गया है। तथापि, यह प्रस्तुत किया गया है कि स्लास्टिक ड्रिप पाइप जैसे उच्चान रखरखाव मद की खरीद को वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमों में दी गई पूँजीगत व्यय की परिभाषा के अनुसार पूँजीगत संपत्ति के अधिग्रहण या पूँजीगत संपत्ति पर व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। स्लास्टिक ड्रिप पाइप टिकाऊ प्रकृति के नहीं होते हैं और इन्हें अचल संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है इसलिए, रुपये 98506/- का खर्च अनुसूची-19 में मरम्मत एवं अनुरक्षण शीर्ष में सही ढंग से बुक किया गया है।</p>
<p>सी जनरल</p> <ol style="list-style-type: none"> बैलेंस शीट में अधिशेष/घाटे का चित्रण एमओई द्वारा जारी खातों के प्रारूप के अनुसार नहीं है। पिछले एसएआर में भी यही आपत्ति उठाई गई थी लेकिन चित्रण अभी भी प्रारूप के अनुसार नहीं है। 	<p>MoE द्वारा निर्धारित प्रारूप का पालन किया गया है। 13.79 करोड़ रुपए रुपये के खर्च से अधिक आय में से 0.27 करोड़ रुपए अनुसूची-1 में दर्शाए गए हैं। शेष 13.52 करोड़ रुपए अनुसूची में सही ढंग से दर्शाए गए हैं। अनुसूची 3 (आइटम 6-डी)। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखों में अनुसूची 1 में संपूर्ण राशि को दर्शाने के लिए लेखापरीक्षा के सुझाव का अनुपालन किया जाएगा।</p>
<ol style="list-style-type: none"> पात्र कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान वीमांकिक आधार पर नहीं किया गया है। पिछले वर्ष एसएआर में भी यही अवलोकन किया गया था लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। 	<p>प्रतिष्ठान ने अपने प्रत्येक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर प्रतिष्ठान को मिलने वाली देनदारियों की गणना करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेचुटी और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया है। गणना का यह तरीका प्रतिष्ठान द्वारा अपनाया गया है और वर्षों से लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, लेखापरीक्षा ने उनके द्वारा की गई टिप्पणियों पर टिप्पणी मांगी थी जो प्रतिष्ठान द्वारा लेखापरीक्षा ज्ञापन संख्या 23 दिनांक 11-09-2020 के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी और लेखापरीक्षा से अनुरोध किया गया था कि प्रतिष्ठान द्वारा अपनाने के लिए कोई अन्य तरीका सुझाया जाए। इसे अगले दौरे के दौरान ऑडिट टीम के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।</p>
<ol style="list-style-type: none"> अप्रयुक्त अनुदान से संबंधित अनुसूची -3 (सी) तैयार नहीं की गई है और साथ ही रुपये 4.48 करोड़ की पूँजी अग्रिम। अनुसूची-8 में दर्शाए गए को चालू देयताओं एवं प्रावधानों (अनुसूची-3) के अंतर्गत अप्रयुक्त अनुदान में शामिल नहीं किया गया है। 	<p>अनुसूची -3(सी) योजना शीर्ष के तहत अप्रयुक्त अनुदानों को दर्शाने से संबंधित है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रतिष्ठान को योजनान्तर्गत कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अनुसूची -3(सी) में कोई राशि प्रदर्शित नहीं हुई है। हालांकि, लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट कर लिया गया है और इसे अनुसूची -3(सी) में प्रदर्शन हेतु लेखापरीक्षा टीम की अगली यात्रा के दौरान परामर्श कर अंतिम रूप दिया जाएगा।</p>
 <p>(डॉ. अनुप कुमार मिश्र) अनुभाग अधिकारी (प्र.) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन</p>	 <p>(प्रो. विरुद्धपाल वि. जड़दीपाल) सचिव म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन</p>

<p>4. अनुदान के क्लोजिंग बैलेंस के अनुसार, अप्रयुक्त अनुदान 26.16 करोड (6.48 करोड रुपये की पूँजी के प्रति अधिम सहित) दर्शाया गया है जबकि अनुसूची-3 में अप्रयुक्त अनुदान को रु. 13.52 करोड। इसके लिए सुलह और सुधार की जरूरत है।</p>	<p>प्रतिष्ठान द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिष्ठान ने अनुसूची 3 का संकलन किया है जिसमें अव्ययित शेष राशि रु. 13.52 करोड दर्शाया गया है। इन्हें सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया है। लेखापरीक्षा का अप्रयुक्त राशि रु. 26.16 करोड दर्शाने वाला तर्क सही नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों के एसएआर से राशि ली गई है जिसमें पूँजीगत व्यय (सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान), 2015-16 और 2016-17 में अर्जित व्याज के साथ-साथ एसएआर में शेष राशि की गणना में कुछ त्रुटियां शामिल हैं। अव्ययित शेष रु. 13.52 करोड प्रतिष्ठान द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए यही से सही ढंग से निकाले गए हैं। तथापि, लेखापरीक्षा की सलाह के अनुसार, इसका समाधान किया जाएगा और अगली लेखापरीक्षा टीम को प्रस्तुत किया जाएगा।</p>																								
<p>घ. सहायता अनुदान</p> <p>वर्ष के दौरान, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन को 45.99 करोड रुपये की सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और इसके अतिरिक्त संस्थान के पास रु. 15.34 करोड अव्यतित अनुदान था। इस प्रकार कुल उपलब्ध निधि में रु. 61.33 करोड रुपये की राशि से वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा 35.17 करोड रुपये का उपयोग किया गया है, शेष रु. 26.16 करोड शेष रहे। अप्रयुक्त अनुदान में रुपये 6.48 करोड की पूँजी के खिलाफ अधिम शामिल है।</p>	<p>अनुसूची -10- प्राप्त अनुदान- लेखा परीक्षा ने 2020-21 के वार्षिक खातों में समापन शेष की गणना रूपये 26.16 करोड के रूप में की है। जिसमें 2015-16 और 2016-17 के लिए 8.89 करोड रुपये की व्याज राशि और पूँजीगत कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी को दी गई अधिम राशि (6.48 करोड रुपये) शामिल है।। व्याज राशि और सीपीडब्ल्यूडी को अधिम राशि को वर्ष 2020-21 के अंतिम शेष में शामिल नहीं किया जाना है।</p> <p>यदि इन राशियों को लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई राशि में से घटा दिया जाता है, तो समापन शेष राशि रु. 10.79 करोड होगी $[26.16-(8.89+6.48) = 10.79]$। हालांकि प्रतिष्ठान के खाते में क्लोजिंग बैलेंस रु. 13.52 करोड जो 2.73 करोड रुपये से अधिक है। इस पर सामंजस्य विठाने की जरूरत है। यह किया जाएगा और अगली ऑडिट टीम को दिखाया जाएगा।</p> <p>मंत्रालय को 2019-20 और 2020-21 के लिए उपलब्ध कराए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यहीं) के अनुसार, विवरण निम्नानुसार है:</p>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">वर्ष</th> <th style="text-align: center;">प्रारंभिक शेष</th> <th style="text-align: center;">वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान</th> <th style="text-align: center;">कुल (2+3))</th> <th style="text-align: center;">उपयोग</th> <th style="text-align: center;">अंतिम शेष (4-5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019-20</td> <td style="text-align: center;">16.63</td> <td style="text-align: center;">41.43</td> <td style="text-align: center;">58.06</td> <td style="text-align: center;">53.36</td> <td style="text-align: center;">4.70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020-21</td> <td style="text-align: center;">4.70</td> <td style="text-align: center;">45.98</td> <td style="text-align: center;">50.68</td> <td style="text-align: center;">37.16</td> <td style="text-align: center;">13.52</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल (2+3))	उपयोग	अंतिम शेष (4-5)	1	2	3	4	5	6	2019-20	16.63	41.43	58.06	53.36	4.70	2020-21	4.70	45.98	50.68	37.16	13.52	<p>हालांकि, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान "प्राप्त अनुदान" और "उपयोग किए गए अनुदान" की मात्रा में कोई अंतर नहीं है।</p>
वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल (2+3))	उपयोग	अंतिम शेष (4-5)																				
1	2	3	4	5	6																				
2019-20	16.63	41.43	58.06	53.36	4.70																				
2020-21	4.70	45.98	50.68	37.16	13.52																				
 <p>(डॉ. अनूप कुमार मिश्र) अनुभाग अधिकारी (प्र.) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन</p>	<p> <p>(प्रो. विश्वकाश वि. जहाजीपाल) सचिव म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन</p> </p>																								

प्रतिष्ठान द्वारा व्याख्याएँ

अनुलग्नक

टिप्पणियाँ		प्रतिष्ठान द्वारा व्याख्या
1.	आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति की पर्याप्तता	
	आन्तरिक लेखा परीक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा किया गया।	तथ्य पूर्ण स्थिति। टिप्पणी नहीं।
2.	आन्तरिक लेखा परीक्षण पद्धति की पर्याप्तता	
	आन्तरिक लेखा परीक्षण पद्धति अपर्याप्त पाई गई, क्योंकि-	
	(i) आन्तरिक परीक्षा नियमावली नहीं है।	भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। प्रतिष्ठान द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 में निहित निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। हालांकि, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा आयोजित की जाती है जो सरकार द्वारा अधिकृत हैं।
	(ii) नियन्त्रक एवं महालेखाकार के वर्ष 04/2012 से 02/2021 तक के निरीक्षण प्रतिवेदन के 27 पैरा लम्बित रहे।	पैराओं का उत्तर और अनुपालन समय-समय पर नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया गया है। लेखापरीक्षा दल की सहमति प्रतीक्षित है।
	(iii) संस्थान में ऊर्जा दक्षता उपायों के परियोजना कार्यान्वयन के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईएसएल) द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों के लिए स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी और साथ ही प्रतिस्थापित वस्तुओं की सूची भी नहीं की गई थी।	कुल राशि ₹.11.75 लाख में से प्रतिष्ठान में ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के लिए ईएसएल को अब तक 6.33 लाख का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में यह राशि कार्यालय भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत अनुसूची-19(क) में दर्ज है तथा उक्त कार्य पूर्ण होने तथा पूर्ण राशि के भुगतान पर खाते को अन्तिम रूप देने पर पूँजी खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। इसके बाद स्टॉक एंट्री की जाएगी।
	(iv) सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237(i) के अनुसार एक स्वायत्त निकाय को 30 जून तक अपने स्वीकृत और प्रमाणित खातों को संबंधित लेखा परीक्षा कार्यालय में जमा करना चाहिए। तथापि, संस्थान ने अपने वार्षिक लेखे 11.11.2021 को लेखापरीक्षा को चार माह से अधिक विलंब के साथ प्रस्तुत किए।	प्रतिष्ठान के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, प्रतिष्ठान के वार्षिक खातों की पहले वित्त समिति द्वारा जांच की जाती है और फिर लेखा परीक्षा के लिए सीएजी को प्रस्तुत करने से पहले गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। चूंकि वित्त समिति का गठन अगस्त 2021 के महीने में किया गया था, इसलिए प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष जो कि वित्त समिति के अध्यक्ष हैं, को केवल 20-09-2021 को नामित किया गया था, और माननीय अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री से सुविधाजनक तिथि उपलब्ध नहीं थी, सीएजी को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखों को अनुमोदित कराने के लिए वित्त समिति और शासी परिषद की बैठकें आयोजित करने में विलम्ब हुआ।
 (डॉ. अनूप कुमार मिश्र) अनुमान अधिकारी (प्र.) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन		 (प्रो. विलासपापा वि. जड्हावपाल) सचिव म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन

3.	परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन पद्धति	
	वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।	तथ्य पूर्ण स्थिति। टिप्पणी नहीं।
4.	वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन पद्धति	
	वर्ष के दौरान वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया गया।	तथ्य पूर्ण स्थिति। टिप्पणी नहीं।
5.	सांविधिक देयराशि के भुगतान में नियमितता	
	सांविधिक देय राशियों के भुगतान में कोई विरंगाति नहीं पाई गई।	तथ्यपूर्ण स्थिति। टिप्पणी नहीं।
 (डॉ. अनूप कुमार मिश्र) अनुभाग अधिकारी (प्र.) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन		 (प्रो. विरुपाक्ष वि. जड्हवीपाल) सचिव म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन

वार्षिक लेखे

2020-21

केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थाओं
के
वित्तीय प्रपत्रों के प्रारूप

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
स्थिति विवरण 31 मार्च 2021

निधियों का स्रोत	सूची	चालू वर्ष	राशि रुपये में
कार्पस (संग्रह निधि) / पूँजी कोष	1	31,85,57,932	31,85,57,932
सामान्य कोष	1	41,75,10,198	36,95,56,671
चिह्नित/स्थायी निधि (सीपीएफ)	2		
चालू दायित्व एवं प्रावधान	3	37,55,30,207	32,96,23,296
योग		1,11,15,98,337	1,01,77,37,899

निधियों का अनुप्रयोग	सूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
स्थायी सम्पत्ति	4	28,97,27,268	29,53,13,030
वास्तविक सम्पत्ति			
अवास्तविक सम्पत्ति			
कार्यशील पूँजी			
चिह्नित/स्थायी निधि निवेश	5	0	
दीर्घकालिक			
लघुकालिक			
विनियोजन - अन्य	6	0	
चालू सम्पत्ति	7	75,61,92,998	67,51,93,530
ऋण, अग्रिम और जमा	8	6,56,78,071	4,72,31,339
योग		1,11,15,98,337	1,01,77,37,899

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 23

समाप्ति दायित्व तथा लेखा टिप्पणियाँ 24

शैक्षणिक संस्था का नाम : महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

आय और व्यय खाता वर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए

विवरण	सूची	चालू वर्ष	राशि रुपये में
		पूर्व वर्ष	
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियाँ	9	89,984	15,864
अनुदान / अनुबृति	10	45,98,60,000	41,43,15,000
निवेश से आय	11	निरंक	निरंक
अर्जित ब्याज (TDR & संचय)	12	5,24,44,009	3,97,80,301
आय (अन्य)	13	3,11,534	-
पूर्व अवधि	14	23,53,481	-
योग (अ)		51,50,59,008	45,41,11,165
व्यय			
कर्मचारियों के भुगतान एवम् लाभ (स्थापना व्यय)	15	12,87,214	21,99,849
शैक्षणिक व्यय	16	74,37,429	1,35,63,373
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	73,72,165	1,17,32,958
परिवहन व्यय	18	35,440	34,945
मरम्मत और रख रखाव	19	28,23,443	7,70,548
वित्त लागत	20	0	0
मूल्य - हास	4	64,19,221	64,97,105
अन्य खर्च (अनुदान व्यय)	21	35,16,87,286	50,10,55,205
पूर्व वर्ष के खर्च	22		
योग (ब)		37,70,62,198	53,58,53,983
व्यय पर आय से शेष राशि			- 8,17,42,818
पूँजी/भवन की अप्रयुक्त अनुदान			
शेष कमी पूँजी खाते में ले जाना		13,79,96,810	- 8,17,42,818

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

23

समाप्ति दायित्व तथा लेखा

24

स्थिति विवरण
की
अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 कोष / पूँजी निधि

निधियों का स्रोत	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	राशि रूपये में
वर्ष के आरम्भ में शेष			
कार्पस (संग्रह निधि)/पूँजी कोष	31,85,57,932	318557932	
सामान्य कोष (322946053 – 2721810)	32,60,63,198	322946053	
जोड़े : कोष / पूँजी कोष में योगदान (40900000 + 50547000)	9,14,47,000	40900000	
जोड़े : यूजीसी, भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से अनुदान पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग			
जोड़े : चिह्नित कोष घटा हास(योजना) से संपत्ति खरीदी			
जोड़े : प्रायोजित परियोजनाओं से क्रय की गई सम्पत्ति जिस पर संस्था का स्वामित्व हो।			
जोड़े : परिसम्पत्ति दान / उपहार प्राप्त			
जोड़े : अन्य परिवर्धन			
जोड़े : आय की व्यय से अधिकता आय एवं व्यय खातें में हस्तांतरित			
कार्पस (संग्रह निधि)/पूँजी कोष	31,85,57,932	318557932	
सामान्य कोष	41,75,10,198	369556671	
योग	73,60,68,130	688114603	
(घटाया) आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित कमी			
अवशेष राशि मन्त्रालय से प्राप्त अनुदान			
पूँजी			
वर्ष के अन्त में शेष	73,60,68,130	688114603	

अनुसूची - 2 नामित / उद्दिष्ट / स्थायी निधि

राशि रूपये में

विवरण	निधिवार विभाजन				योग	
	निधि अ अ अ	निधि ब ब ब	निधि स स स	स्थायी निधि	वर्तमान चालू वर्ष	
अ.						
अ) प्रारम्भिक शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
आ) वर्ष में परिवर्धन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
इ) कोष से निवेश पर प्राप्त आय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ई) निवेश / अधिग्रहण पर अर्जित ब्याज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
उ) बैंक के बचत खाते में ब्याज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ऊ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग (अ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ब.						
निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता / व्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(अ) पूँजीगत व्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(आ) राजस्व व्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग (ब)						
वर्ष के अन्त में शेष (अ – ब)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
द्वारा प्रतिनिधित्व	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
नकद एवं बैंक शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
निवेश	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
उपचित किन्तु अप्राप्य ब्याज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

अनुसूची - 2 (ए) स्थायी निधि

स्तम्भ “निर्धारित स्थायीनिधि” सूची की “स्थायीनिधि” नमूना सरूप उपसूची जो तुलन पत्र का भाग है।

क्र.	स्थायी निधि का नाम	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		योग		उद्देश्य पर व्यय	अन्तिम शेष	योग (10 + 11)	
		स्थायी निधि	संचित ब्याज	स्थायी निधि	ब्याज	स्थायी निधि (3 + 5)	संचित ब्याज				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सीपीएफ	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

नोट

- तुलनपत्र के चिह्नित कोष में स्थायी निधि स्तम्भ के अन्तर्गत स्तम्भ 3 व 4 का योग प्रारम्भिक शेष अनुसूची 2 के रूप में होगा।
- स्तम्भ 9 का योग सामान्यतः स्तम्भ 8 से कम होता है क्योंकि केवल ब्याज राशि स्थायी निधि के उद्देश्यों को पूरा करने में हुए व्यय हेतु प्रयुक्त होगी। (कुर्सियों पर स्थायीनिधि छोड़कर)
- अनुसूची में सामान्यतः नामे शेष नहीं होना चाहिए। विरल स्थितियों में यदि स्थायी निधि का नामे शेष होता है, तो वह तुलन पत्र अनुसूची 8 में ऋण, अग्रिम एवं जमा के रूप में सम्पत्ति पक्ष में दर्शाना चाहिए।

सूची - 3 वर्तमान दायित्व और प्रावधान

राशि रुपये में

			चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अ.	चालू दायित्व			
1.	स्टाफ से जमा			
2.	छात्रों से जमा			
3.	विविध लेनदार -	गुरुशिष्य परम्परा पाठशाला	निरंक निरंक	निरंक निरंक
	अ) माल और सेवाओं के लिए			
	ब) अन्य			
4.	अन्य जमा (वयाना राशि, सुरक्षा निधि)/संचय एवं अधिशेष		73,40,410	73,40,410
5.	वैधानिक दायित्व (जी.एस.टी)		1,692	9,604
	अ) पूर्वदेय			
	ब) अन्य			
6.	अन्य चालू दायित्व			
	अ) वेतन			
	ब) प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्तियाँ			
	स) प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति से प्राप्तियाँ			
	द) अप्रयुक्त अनुदान		13,52,80,783	3,95,79,793
	इ) अतिरिक्त निधि			
	एफ) अन्य दायित्व/अस्थगित छात्रवृत्ति	गुरुशिष्य परम्परा पाठशाला	116711310 90834200	26,47,38,381
		योग (अ)	35,01,68,395	31,16,68,188
ब.	प्रावधान			
1.	कराधान हेतु			
2.	उपदान		48,52,762	44,00,000
3.	सेवानिवृत्ति पेंशन			
4.	संचित अवकाश नकदीकरण		32,76,050	30,89,060
5.	व्यापार वारंटियाँ / दावे			
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें) परिशिष्ट 1 के अनुसार (रु. 1000/- पूर्व वर्ष)		1,72,33,000	1,04,66,048
		योग (ब)	2,53,61,812	1,79,55,108
	योग (अ + ब)		37,55,30,207	32,96,23,296

लेखा वर्ष 2020 - 2021

अनुलम्बक - 1

प्रावधान खातों की सूची 2020 - 21

	खातों का नाम	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
स्थापना व्यय			
1	वेतन और भत्ते	0	13,09,673
2	उद्धम पर कर की कटौती		
3	अवकाश वेतन एवं पेशन अंशदान	0	4,44,504
4	अंकेक्षण शुल्क		
अन्य विविध प्रशासनिक व्यय			
1	जल एवं विद्युत खाता		
2	कार्यालय संयंत्र के सुधार एवं रखरखाव खाता		
3	किराया, दरे एवं कर खाता		
4	वाहन सुधार एवं रखरखाव खाता		
5	डाक एवं तार खाता		
6	दूरभाष खाता		
7	स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग		
8	स्थानीय यात्रा भत्ता खाता		
9	मेडिकल खाता		
10	विविध प्रशासनिक कार्यालय व्यय खाता	33,000	2,09,178
11	यात्रा/भत्ता खाता		
12	परीक्षा हेतु यात्रा भत्ता/दीक्षांत समारोह खाता		
13	ओटीए		
14	वृद्ध वेद पंडितों एवं नित्याभिहोत्रियों को आर्थिक सहायता		
15	वेद संगोष्ठी एवं सम्मेलन		
अनुदान/सहायता पर व्यय			
1	अन्यापकों को मानदेय खाता	1,63,00,000	36,44,650
2	छात्रों की छात्रवृत्ति		
3	छात्रों की स्वतः व्यय राशी	0	2,51,000
3	वैदिक सस्वर उच्चारण की मौखिक परम्परा	9,00,000	26,63,000
4	पूर्वोत्तर राज्य अनुदान		
5	आकस्मिक अनुदान		
अन्य भुगतान			
1	राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय	0	19,44,043
	योग	1,72,33,000	1,04,66,048

अनुसूची - 3 (क) प्रायोजित परियोजनाएँ

राशि रूपयों में

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्रारम्भिक शेष		वर्ष में प्राप्तियाँ / वसूलियाँ	योग	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम शेष	
		जमा	नामे				जमा	नामे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- प्रत्येक एजेन्सी के योग के साथ एजेंसीवार परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- तुलन पत्र (अनुसूची 3) की देयताओं की मद को स्तंभ 8 में (जमा) कुल योग दर्शाया गया है।
- तुलन पत्र की परिसम्पत्ति की तरफ सूची 8 के प्राप्त में ऋण, अधिम एवं जमा स्तंभ 9 (नामे) में दर्शाया गया है।

अनुसूची - 3 (ख) प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति

राशि रूपयों में

क्रमांक	परियोजना का नाम	01.04.2019 का प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान लेन - देन		31.03.2020 को अन्तिम शेष	
		जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग						
2	मन्त्रालय						
3	अन्य (पृथक निर्दिष्ट करें)						
	योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

नोट :

1. तुलन पत्र (अनुसूची 3) की दायित्वों की मद में स्तम्भ 7 में (जमा) कुल योग दर्शाया गया है।
2. तुलन पत्र (अनुसूची 8) की लेनदारियों की मद में ऋण, अग्रिम एवं जमा स्तम्भ 8 (नामे) में कुल योग दर्शाया गया है।

अनुसूची - 3 (ग) यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अप्रयुक्त अनुदान

राशि रूपयों में

		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अ.	योजना अनुदान : भारत सरकार		
	शेष राशि आगे लायी गयी		
	जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	निरंक	निरंक
	योग (अ)		
	घटाएँ: वापस किया गया		
	घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त		
	घटाएँ: पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
	योग (ब)	निरंक	निरंक
	अप्रयुक्त आगे ले जाया गया (अ – ब)		
ब.	यूजीसी अनुदान : योजना		
	शेष राशि आगे लायी गयी		
	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		
	योग (स)	निरंक	निरंक
	घटाएँ: वापस किया गया		
	घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त		
	घटाएँ: पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
	योग (स)	निरंक	निरंक
	अप्रयुक्त आगे ले जाया गया (स – द)		

स.	गैर योजना : यूजीसी अनुदान शेष राशि आगे लायी गयी जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ योग (द)		
	घटाएँ: वापस किया गया घटाएँ: अप्रयुक्त राजस्व व्यय के लिए घटाएँ: अप्रयुक्त पूँजीगत व्यय के लिए	निरंक	निरंक
	योग (एफ)	निरंक	निरंक
	अप्रयुक्त आगे ले जाया गया (इ – एफ)		
द.	राज्य सरकार से अनुदान शेष राशि आगे लायी गयी जोड़े : वर्ष में प्राप्तियाँ योग (छ)		
	घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त घटाएँ: पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	निरंक	निरंक
	योग (स)	निरंक	निरंक
	अप्रयुक्त आगे बढ़ाया गया (अ + ब + स + द)		

नोट :

- पूँजीगत खाते पर अग्रिम में अप्रयुक्त अनुदान सम्मिलित।
- अप्रयुक्त अनुदान में आगामी वर्ष के लिए प्राप्त अग्रिम अनुदान सम्मिलित है।
- पूँजी खाते में अप्रयुक्त अनुदान परिसम्पत्ति पक्ष में बैंक शेष, अल्पावधि जमा के साथ बैंक अग्रिम द्वारा दर्शाये गये हैं।

अनुसूची - 4 - स्थाई परिसम्पत्ति

मद् के वर्गीकरण इस प्रकार हैः-

1	भूमि	पूर्ण स्वामित्व भूमि और पट्टे पर दी गई भूमि अलग से सम्मिलित।
2	स्थल विकास	
3	भवन	संस्थानों में कालेज भवन, कार्यालय भवन, स्टाफ भवन, आवासी भवन, छात्रावास भवन, अस्थायी ढांचे और शेड की तरह इमारतों में सम्मिलित।
4	संयंत्र एवं मशीनरी	एयर कंडीशनर, पानी/एयर कूलर, जनरेटर सेट, टीवीसेट, आग बुझाने के संयंत्र आदि सम्मिलित।
5	विद्युत स्थापना	पंखे, लाइट फिटिंग और ट्यूब के रूप में विजली फिल्स्चर और फिटिंग आदि सम्मिलित।
6	ट्यूबवेल व पानी की आपूर्ति प्रणाली	ट्यूबवेल और पानी की आपूर्ति प्रणाली एक अलग श्रेणी के रूप में सम्मिलित।
7	कार्यालय के उपकरण	फैक्स मशीन, फोटोकॉपी, ईपीएचीएक्स, टाइपराइटर, फोटोकापी मशीन आदि सम्मिलित।
8	प्रयोगशाला और वैज्ञानिक उपकरण	सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, विदारक उपकरण, कांच के उपकरण, माप उपकरणों और प्रयोगशाला उपकरणों के अन्य प्रकार के रूप में सम्मिलित।
9	ऑडियो विजुअल उपकरण	टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकार्डर, डीवीडी/वीसीडी प्लेयर, कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर आदि सेट सम्मिलित।
10	फर्नीचर, फिल्चर और फिटिंग	डेस्क, बैच, अलमारियाँ, मेज, कुर्सियाँ, विभाजन के रूम में सम्मिलित।
11	कम्प्यूटर, बाह्य उपकरण	कम्प्यूटर, प्रिंटर और अन्य बाह्य उपकरणों की तरह ही यूपीएसी आदि भी सम्मिलित।
12	खेल उपकरण	टेबल टेनिस टेबल, जिम उपकरण आदि खेल सम्बन्धित सामग्री सम्मिलित।
13	वाहन	बस, लॉरी, कार, स्कूटर सभी प्रकार के वाहन सम्मिलित।
14	लाइब्रेरी की किताबें और वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	पुस्तकालय की किताबें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ आदि सम्मिलित।
15	अमूर्त सम्पत्ति	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ई-जनरल्स आदि सम्मिलित।
16	कार्यशील पैंजी	स्थाई सम्पत्ति को इस मद् के अन्तर्गत तब तक दर्शाना चाहिए जब तक वह सम्पत्ति पूर्ण नहीं हो जाती। ड्रांट, मशीनरी और उपकरण एवं लम्बित स्थापना और कमीशनिंग व्यव भी इस मद् में दर्शाना चाहिए।

अनुसूची - 4 - स अमूर्त सम्पत्ति

राशि रूपये में

क्र.	अमूर्त सम्पत्ति	सकल ब्लॉक				मूल्यहास ब्लॉक				नेट ब्लॉक	
		प्रारम्भिक शेष 01.04.2018	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्तिम शेष	मूल्यहास/परिशोध का प्रारम्भिक शेष	मूल्यहास/ परिशोध वर्ष में	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यहास/ परिशोधन	31.03.2021	31.03.2020
1	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर										
2	ई जनल					निरंक					
3	पेटेट										

अनुसूची - 4 - (सी) (i) पेटेंट और कॉपीराइट							राशि रूपये में
	विवरण	प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन	सकल	परिशोधन	नेट ब्लॉक 20.....	नेट ब्लॉक 20.....
अ	पेटेंट प्रदान						
1	चालू वित्त वर्ष में पेटेंट प्रदानवर्ष 2020-21 में 31.3.21 के अंतिम शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	वर्ष 2019-20 में 31.3.20 का अंतिम शेष						
3	वर्ष 2018-19 में 31.3.19 का अंतिम शेष						
	योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

	विवरण	प्रारम्भिक शेष	जोड़े	कुल	पेटेंट प्राप्त / अस्वीकृत	नेट ब्लॉक 2019-20	नेट ब्लॉक 2020-21
ब	पेटेंट से सम्बन्धित लम्बित आवेदन						
1	2020-21 में किए गए व्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	2019-20 में किए गए व्यय						
3	2018-19 में किए गए व्यय						
	योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
स	कुल योग (अ + ब)						

नोट : भाग 'अ' में स्वीकृत पेटेंट का योग वर्ष के दौरान स्वीकृत पेटेंट आंकड़े होंगे, जो कि भाग 'ब' (पेटेंट स्वीकृत/अस्वीकृत) से अन्तरित किये गये हैं।

आय एवं व्यय लेखा में वर्ष के दौरान अस्वीकृत अनुदान राशि को बढ़े खाते में डाला गया है।

लेखा वर्ष 2020-2021

31 मार्च 2021 के स्थिति विवरण तुलन-पत्र से सम्बन्धी सूचियाँ

सूचि 4 (ब) : अचल परिसम्पत्तियाँ

विवरण		सकल परिसम्पत्तियाँ				हास				शुद्ध परिसम्पत्तियाँ	
		वर्षारंभ का मूल्यांकन	वर्ष में परिवर्धन	वर्ष में कटौतियाँ	वर्षान्त का मूल्यांकन	वर्षारंभ में	वर्ष में परिवर्धन	वर्ष में कटौतियाँ	वर्षान्त का योग	चालू वर्ष के अन्त में	पूर्व वर्ष के अन्त में
(अ)	स्थायी परिसम्पत्तियाँ/संपत्ति										
1.	भूमि										
	अ.	मुक्त	73,40,410	-	-	73,40,410	-	-	-	73,40,410	73,40,410
	ब.	पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	भवन										
	अ.	मुक्त भूमि पर	32,32,67,100			32,32,67,100	4,43,51,394	55,78,314	4,99,29,708	27,33,37,392	27,89,15,706
	ब.	आंतरिक्त									
	स.	पट्टे की भूमि पर	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	द.	प्रभुत्व अधिकार युक्त फ्लैट/पारिसर	24,63,663	-	-	24,63,663	16,43,746	9,391	-	16,53,137	8,10,526
3.	झांट मशीनरी और उपकरण (टेप)	3,81,977	-	-	3,81,977	3,30,058	2,596	-	3,32,654	49,323	51,919
4.	गाड़ीयाँ (Ciaz Staff Car)	8,61,188	-	-	8,61,188	86,119	77,507	-	1,63,626	6,97,562	7,75,069
5.	ढेला गाड़ी	16,100	10,500	-	26,600	1,610	2,499	-	4,109	22,491	14,490
6.	फर्नीचर, पिक्सचर	41,65,134	-	-	41,65,134	19,59,461	1,65,425	-	21,24,886	20,40,248	22,05,673
7.	कार्यालय उपकरण	29,74,216	1,28,568	-	31,02,784	19,95,093	83,077	-	20,78,170	10,24,614	9,79,123
8.	कम्प्यूटर सहायक सामग्री	18,24,032	3,54,770	-	21,78,802	14,64,338	1,42,893	-	16,07,231	5,71,571	3,59,694
9.	पूर्वोत्तर राज्य अनुदान कम्प्यूटर	4,87,111	-	-	4,87,111	4,81,234	1,175	-	4,82,409	4,702	5,877
10.	पुस्तकालय पुस्तकें	7,17,694	19,445	-	7,37,139	5,78,252	15,889	-	5,94,141	1,42,998	1,39,442

सूचि 4(ब) : अचल परिसम्पत्तियाँ

विवरण		सकल परिसम्पत्तियाँ				हास				शुद्ध परिसम्पत्तियाँ	
		वर्षारंभ का मूल्यांकन	वर्ष में परिवर्धन	वर्ष में कटौतियाँ	वर्षान्त का मूल्यांकन	वर्षारंभ में	वर्ष में परिवर्धन	वर्ष में कटौतियाँ	वर्षान्त का योग	चालू वर्ष के अन्त में	पूर्व वर्ष के अन्त में
(अ)	स्थायी परिसम्पत्तियाँ/संपत्ति										
10.	अन्य अचल सम्पत्तियाँ पुस्तकालय उपकरण और इन्टरकाम)	1,24,945			1,24,945	1,07,497	349		1,07,846	17,099	17,448
11.	पूर्वोत्तर राज्य फर्नीचर	16,53,596			16,53,596	7,67,136	66,485		8,33,621	8,19,975	8,86,460
12	राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय (अनुलग्नक ए)	32,07,169	3,20,176		35,27,345	4,05,367	2,73,621		6,78,988	28,48,357	28,01,802
	चालू वर्ष का योग	34,94,84,335	8,33,459		35,03,17,794	5,41,71,305	64,19,221		6,05,90,526	28,97,27,268	29,53,13,030
	प्रगतिशील कार्य पूँजी										
	योग										
	पूर्व वर्ष	34,47,01,653	52,50,506	4,67,824	34,94,84,335	4,76,80,140	64,97,105		5,41,71,305	29,53,13,030	29,66,13,088

अनुलम्बक ए

सूचि 4 (ब) : अचल परिसम्पत्तियाँ (राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय)

विवरण		सकल परिसम्पत्तियाँ				हास				शुद्ध परिसम्पत्तियाँ	
		वर्षारंभ का मूल्यांकन	वर्ष में परिवर्धन	वर्ष में कटौतियाँ	वर्षान्त का मूल्यांकन	वर्षारंभ में	वर्ष में परिवर्धन	वर्ष में कटौतियाँ	वर्षान्त का योग	चालू वर्ष के अन्त में	पूर्व वर्ष के अन्त में
1.	झुंट मशीनरी और उपकरण	54,197	-	0	54,197	4,215	2,499	0	6,714	47,483	49,982
2.	फर्नीचर, पिक्सचर	24,71,188	2,00,000	0	26,71,188	2,54,499	1,81,252	0	4,35,751	22,35,437	22,16,689
3.	कम्प्यूटर सहायक सामग्री	2,22,731	1,00,846	0	3,23,577	80,183	48,679	0	1,28,862	1,94,715	1,42,548
4.	पुस्तकालय पुस्तकें	4,59,053	10,685	0	4,69,738	66,470	40,327	0	1,06,797	3,62,941	3,92,583
5.	चल सम्पत्ति	0	8,645	0	8,645	0	864	0	864	7,781	0
	चालू वर्ष का योग	32,07,169	3,20,176	0	35,27,345	4,05,367	2,73,621	0	6,78,988	28,48,358	28,01,802
	पूर्व वर्ष	14,79,828	17,27,341	0	32,07,169	1,43,748	2,61,619	0	4,05,367	28,01,802	13,36,080

लेखा वर्ष 2020-2021

31 मार्च 2021 को सम्पत्ति पर प्रदान किए गए मूल्यहास को दर्शाने वाला विवरण

राशि रूपये में

विवरण		प्रारम्भिक शेष (1 अप्रैल 2020 तक)	वर्ष में परिवर्धन	वर्षान्त का मूल्यांकन	मूल्यहास दर
1.	झांट मशीनरी और उपकरण	49,982	-	2,499	5%
2.	फर्नीचर, पिक्सचर	22,16,689	2,00,000	1,81,252	7.5%
3.	कम्प्यूटर सहायक सामग्री	1,42,548	1,00,846	48,679	20%
4.	पुस्तकालय पुस्तकें	3,92,583	10,685	40,327	10%
5.	चल सम्पत्ति	0	8,645	864	10%
	कुल योग	28,01,802	3,20,176	2,73,621	

लेखा वर्ष 2020-2021

31 मार्च 2021 के स्थिति विवरण तुलन-पत्र से सम्बन्धी सूचियाँ

राशि रूपये में

विवरण	प्रारम्भिक शेष (1 अप्रैल 2020 तक)	वर्ष में परिवर्धन	वर्षान्त का मूल्यांकन (हास)	मूल्य हास दर
01. भवन	27,89,15,706		55,78,314	2%
02. प्रभुत्व अधिकार युक्त फ्लैट	8,19,917	-		
(-) भूमि लागत	3,50,341	-	9,391	2%
03. प्लांट मशीनरी	51,919		2,596	5%
04. स्टाफ कार (सियाज)	7,75,069		77,507	10%
05. फर्नीचर, फिक्सचर्स	22,05,673		1,65,425	7.5%
06. उपकरण	9,79,123	1,28,568	83,077	7.5%
07. ढेला गाड़ी	14,490	10,500	2,499	10%
08. कम्प्यूटर	3,59,694	3,54,770	1,42,893	20%
09. पूर्वोत्तर राज्य कम्प्यूटर	5,877		1,175	20%
10. पुस्तकालय की पुस्तकें	1,39,442	19,445	15,889	10%
11. अन्य स्थाई सम्पत्तियाँ	17,448		349	2%
12. पूर्वोत्तर राज्य फर्नीचर	8,86,460		66,485	7.5%
कुल योग	28,48,20,477	5,13,283	61,45,600	

नोट : आयकर अधिनियम के अनुसार स्थायी सम्पत्ति पर मूल्य हास लगाया गया है।

अनुसूची 5 : चिह्नित/स्थायी निधि से निवेश

राशि रूपये में

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
01.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में	निरंक	निरंक
02.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	निरंक	निरंक
03.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	निरंक	निरंक
04.	शेयर्स	निरंक	निरंक
05.	ऋणपत्र एवं प्रतिज्ञापत्र	निरंक	निरंक
06.	सावधी जमा (इस राशि को चालू सम्पत्तियों में अनुसूची 7 में दर्शाया गया)	निरंक	निरंक
07.	अन्य (निर्दिष्ट करें) सीपीएफ	निरंक	निरंक
	कुल योग	निरंक	निरंक

अनुसूची 6 : निवेश - अन्य

राशि रूपये में

		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
01.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में	निरंक	निरंक
02.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	निरंक	निरंक
03.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	निरंक	निरंक
04.	शेयर्स	निरंक	निरंक
05.	ऋणपत्र एवं प्रतिज्ञापत्र	निरंक	निरंक
06.	अन्य (निर्दिष्ट करें) राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (इस राशि को चालू सम्पत्तियों में अनुसूची 7 मे दर्शाया गया)	निरंक	निरंक
	योग	निरंक	निरंक

अनुसूची 7 : चालू सम्पत्तियाँ (31 मार्च 2020 तक)			राशि रूपये में	
	क्र.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
01.	रहतिया :			
	अ)	भण्डार और पुर्जे		
	ब)	खुले उपकरण		
	स)	प्रकाशन	6,88,215	8,55,077
	द)	प्रयोगशाला रसायन, उपभोग्य और कांच के बने पदार्थ		
	ई)	भवन सामग्री		
	एफ)	विद्युत सामग्री		
	जी)	स्टेशनरी		
	एच)	जलप्रदाय सामग्री		
02.	विविध देनदार :			
	अ)	छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		
	ब)	अन्य		
	स)	कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी का योगदान		
03.	नकद और बैंक शेष			
	अ)	नकद शेष	26,212	26,212
		अनुसूचित बैंकों के साथ : नकद शेष		
		- चालू खाते में	0	
		- सावधि जमा खाते में	60,37,11,323	65,19,72,531
		- बचत खाते में	15,17,67,248	2,23,39,710
	ब)	गैर अनुसूचित बैंकों के साथ :		
		- सावधि जमा खाते में		
		- बचत खाते में		
04.	डाकघर - बचत खाता			
		योग	75,61,92,998	67,51,93,530

संलग्नक 'अ' बैंक लेखों के विवरण दर्शाता है।

अनुलम्बक - 03
राशि रूपये में

बैंक बचत खातों का विवरण		
01.	इंडियन ओवरसीज बैंक	25,23,081.05
02.	पंजाब नेशनल बैंक	67,68,401.50
03.	कैनरा बैंक	12,41,77,865.26
04.	पंजाब नेशनल बैंक (अस्थगित छात्रवृत्ति)	91,64,967.39
05.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	91,32,933.00
	कुल योग	15,17,67,248.00

अनुसूची 8 : ऋण, अग्रिम एवं सावधि जमा

राशि रूपये में

			चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
01.	कर्मचारियों को अग्रिम : (ब्याज रहित)			
	अ)	बेतन		
	ब)	त्यौहार		
	स)	चिकित्सा अग्रिम		
	द)	अन्य (निर्दिष्ट करे) अनुसूची 4 के अनुसार	5,76,597	19,83,944
02.	कर्मचारियों को दीर्घकालीन अग्रिम : (ब्याज सहित)			
	अ)	वाहन अग्रिम		2,421
	ब)	मकान अग्रिम	29,491	1,01,491
	स)	अन्य (निर्दिष्ट करें) / कम्प्यूटर अग्रिम	35,540	57,040
03.	अग्रिम जो कि नकद या वस्तु के रूप में वसूल किये जा सकते हैं अथवा अन्य रूप में वसूल किये जा सकते हैं।			
	अ)	पूँजी खाता पर	6,48,49,748	4,48,99,748
	ब)	आपूर्तिकर्ता को		
	स)	अन्य		
04.	पूर्वदत्त खर्च			
	अ)	बीमा		
	ब)	अन्य खर्च		
05.	जमा			
	अ)	दूरभाष	30,821	30,821
	ब)	पट्टे का किराया		
	स)	विजली	1,34,174	1,34,174
	द)	एआईसीटीई, यदि लागू हो		
	इ)	अन्य (निर्दिष्ट करें) गैस एजेंसी, गोल्डन पेट्रोलियम के पास जमा	21,700	21,700

6.	उपार्जित आय:			
	अ)	प्रथृक रक्षित / स्थायीनिधि से निवेश		
	ब)	निवेश - अन्य/सावधि जमा	निरंक	निरंक
	स)	ऋण और अग्रिम पर		
	द)	अन्य अग्रिम (अप्राप्त आय भी सम्मालित हैं)		
7.	अन्य - यूजीसी एवं प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य चालू सम्पत्तियाँ			
	अ)	प्रायोजित परियोजनाओं में ऋण शेष		
	ब)	प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति में ऋण शेष		
	स)	प्राप्य अनुदान		
	द)	यूजीसी से अन्य प्राप्तियाँ		
8.	प्राप्य दावे			
योग			6,56,78,071	4,72,31,339

नोट :

- यदि परिक्रामी निधि कर्मचारियों हेतु आवास भवन कम्प्यूटर एवं वाहन अग्रिम के लिये सृजित की गई हैं, अग्रिम राशि निर्धारित। स्थायी निधि के रूप में प्रकट होगी। इस अनुसूची में शेष पर अग्रिम व्याज धारक प्रकट नहीं होंगे।

वर्ष 2020-2021 के अधिमों की सूची(ब्याज सहित)

राशि रूपये में

खाता मद	प्रारम्भिक शेष (रु.)	कुल डेबिट (रु.)	कुल क्रेडिट (रु.)	अन्तिम शेष	टिप्पणी
ब्याज मुक्त अधिम					
01. यात्रा एवं दैनिक भत्ता अधिम (कार्यालयीन)	0	40,000	40,000	0	
02. यात्रा एवं दैनिक भत्ता अधिम (अकार्यालयीन)	0	0	0	0	
03. डाक तार अधिम	10,000	0	0	10,000	
04. अवकाश यात्रा रियायत अधिम	9,720	45,020	34,240	20,500	
05. सम्मेलन अधिम	4,06,616	1,93,384	6,00,000	0	
06. पूर्वोत्तर राज्य कार्यक्रम अधिम	6,54,000	78,000	6,54,000	78,000	
07. अग्रदेव अधिम	0	0	0	0	-
08. विविध व्यय अधिम	500	1,48,000	1,48,500	0	
09. कर्मचारी भविष्य निधि अधिम	3,00,654	0	0	3,00,654	
10. संगोष्ठी अधिम	3,40,509	0	2,52,000	88,509	
11. वैदिक कक्षाएँ अधिम	2,28,000	0	1,14,000	1,14,000	
12. परीक्षा/दीक्षान्त अधिम	19,700	0	19,700	0	
13. कर्मचारी अंशदातारी निधि अधिम	(-) 47,066	0	24,000	(-) 71,066	
14. त्यौहार अधिम	(-) 600	600	0	0	
15. चिकित्सा अधिम	0	0	0	0	
16. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अधिम	0	0	0	0	
17. रजत जयंती अधिम	7,911	0	7,911	0	
18. वेद पारायण हेतु अधिम	0	0	0	0	
19. वेद ज्ञान सप्ताह हेतु अधिम	54,000	0	18,000	36,000	
20. राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय हेतु अधिम	0	40,000	40,000	0	
कुल योग	19,83,944	5,45,004	19,52,351	5,76,597	

वर्ष 2020-2021 के अग्रिमों की सूची
(ब्याज सहित)

राशि रुपये में

खाता मद	प्रारम्भिक शेष (रु.)	कुल डेबिट (रु.)	कुल क्रेडिट (रु.)	अन्तम शेष	टिप्पणी
ब्याज मुक्त अग्रिम					
1. कम्प्यूटर/लैपटाप अग्रिम	57,040	-	21,500	35,540	
2. स्कूटर/मोटर साइकल अग्रिम	2,421	-	2,421	-	
3. गृह निर्माण अग्रिम	1,01,491	-	72,000	29,491	
कुल योग	1,60,952	निरंक	95,921	65,031	

आय और व्यय खाते
की
अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - शैक्षणिक प्राप्तियाँ

		राशि रूपये में
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
छात्रों से शुल्क		
शैक्षणिक		
1. शिक्षा शुल्क		
2. प्रवेश शुल्क / परीक्षा शुल्क	50,100	
3. पत्राचार पाठ्यक्रम शुल्क	5,250	15,400
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क		
5. प्रयोगशाला शुल्क		
6. पंजीकरण शुल्क		
7. पाठ्यक्रम शुल्क		
योग (अ)	55,350	15,400
परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	-	
3. अंकसूची, प्रमाण पत्र शुल्क		
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
योग (ब)	-	-

		राशि रूपये में
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क		
2. विविध शुल्क		
3. चिकित्सा शुल्क		
4. परिवहन शुल्क		
5. छात्रावास शुल्क		
6. आर.टी.आई. फी	34,634	464
योग (स)	34,634	464
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री		
2. पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों की बिक्री आदि		
3. विवरणिका की बिक्री (प्रवेश प्रपत्र सहित)		
योग (द)	निरंक	निरंक
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशालाओं, कार्यक्रमों का पंजीयन शुल्क		
2. पंजीकरण शुल्क (शैक्षणिक स्टॉफ कॉलेज)		
योग (इ)	निरंक	निरंक
सकल योग (अ +ब +स +द +इ)	89,984	15,864

नोट: यदि प्रवेश शुल्क, चंदा आदि महत्वपूर्ण हैं एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं, ऐसी राशियाँ पूँजीगत निधि के लिये मान्य होंगी। अन्यथा ऐसे शुल्क इस सूची में औचित्य से सम्मिलित किये जायेंगे।

अनुसूची 10 - अनुदान / सब्सिडी (अपरिवर्तनीय अनुदान प्राप्त)

विवरण	योजना			कुल योजना	गैर योजना यूजीसी	वर्तमान वर्ष (कुल)	पूर्व वर्ष (कुल)	राशि रुपये में				
	भारत सरकार	यूजीसी										
		योजना	विशिष्ट योजना									
शेष लाया गया	4,70,48,069							16,63,85,274				
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	45,98,60,000							41,43,15,000				
योग	50,69,08,069							58,07,00,274				
घटाएः वापस	-											
शेष	50,69,08,069							58,07,00,274				
घटाएः पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग (अ)	1,99,50,000							3,25,97,000				
शेष	48,69,58,069							54,81,03,274				
घटाएः राजस्व व्यय के लिए उपयोग (ब)	35,16,77,286							50,10,55,205				
शेष आगे ले जाया गया (स)	13,52,80,783							4,70,48,069				

- अ. वर्ष के दौरान पूँजी निधि एवं स्थायी परिसम्पत्तियों में परिवर्धन प्रकट होंगे।
- ब. आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में प्रकट होंगे।
- स. (i) तुलन पत्र में चालू दायित्व के अंतर्गत आगामी वर्ष के प्रारंभिक शेष में प्रकट होंगे।
(ii) परिसंपत्तियों की तरफ बैंक शेष निवेश एवं अग्रिम द्वारा वर्णित किये गये हैं।

अनुसूची 11 : अवधि जमा निवेश से आय

राशि रूपये में

विवरण	चिह्नित / स्थायी निधि		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
01. ब्याज				
अ) सरकारी प्रतिभूतियाँ पर (आर.वी.आई.बाणड)	निरंक	निरंक		
ब) अन्य प्रतिज्ञा पत्र / ऋणपत्र	निरंक	निरंक		
02. जमा पर ब्याज	निरंक	निरंक		
03. सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर देय नहीं / कर्मचारियों को ब्याज सहित अग्रिम	निरंक	निरंक		
04. बचत बैंक खातों पर ब्याज	निरंक	निरंक		
05. अन्य (निर्दिष्ट करें)	निरंक	निरंक		
आस्थगित छात्रवृत्ति पर ब्याज	निरंक	निरंक		
अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	निरंक	निरंक		
योग	निरंक	निरंक		
चिह्नित / स्थायी निधि में स्थानान्तरित	निरंक	निरंक		
शेष	निरंक	निरंक		

नोट: - प्रोन्दूत ब्याज परंतु गृह निर्माण अग्रिम निधि, सावधि जमा, वाहन अग्रिम निधि एवं कम्प्यूटर अग्रिम निधि पर देय नहीं एवं कर्मचारियों को ब्याज सहित अग्रिमसम्मिलित किया जावेगा (मद् 3), जहाँ पर ऐसे अग्रिमों के लिए केवल परिक्रामी निधि का ढाँचा है।

अनुसूची 12 - प्राप्त ब्याज

			राशि रुपये में
	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	अनुसूचित बैंकों के साथ बचत खाता	14,18,763	5,71,659
2.	ऋण पर		
	अ) कर्मचारी/स्टॉफ	23,079	21,000
	ब) अन्य		
3.	देनदान और अन्य प्राप्त		
	अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज	5,10,02,167	3,91,80,031
	मध्यप्रदेश पश्चिम विद्युत कम्पनी में जमा पर ब्याज		7,611
		5,24,44,009	3,97,80,301

नोट :-

- स्थायी निधि का बैंक लेखे के मद् 1 में दर्शाई गई राशि अनुसूची 11 (प्रथम भाग) एवं अनुसूची 2 के व्यव्हार में लाई गई है।
- यदि ऐसे अधिमों के लिए परिकामी निधि निर्मित नहीं की गई है केवल मद् 2 (अ) लागू होगा।

अनुसूची 13 - अन्य आय

- विविध आय से प्राप्तियाँ जो कि सामग्री मात्रा की मद् में शामिल है उन्हें अलग से दिखाई जाएं

		विवरण	चालू वर्ष	राशि रूपये में पूर्व वर्ष
अ.	भूमि एवं भवन से आय			
1.	छात्रावास किराया			
2.	लाइसेंस शुल्क		52,470	
3.	सभागार/खेल का मैदान/कन्वेशन सेंटर आदि का किराया			
4.	विद्युत शुल्क की वसुली			
5.	जल शुल्क की वसुली			
	योग		52,470	निरंक
ब.	संस्था के प्रकाशन की विक्री		निरंक	निरंक
स.	कार्यक्रम आयोजित करने से प्राप्त आय			
1.	वार्षिक उत्सव/खेलकूद मेले से प्राप्त सकल आय			
	घटाएः वार्षिक उत्सव / खेलकूद मेले में हुए प्रत्यक्ष व्यय			
2.	शुल्क से सकल आय			
	घटाएः शुल्क पर प्रत्यक्ष व्यय			
3.	शैक्षणिक यात्रा से सकल प्राप्तियाँ			
	घटाएः यात्रा में हुए प्रत्यक्ष व्यय			
4.	अन्य (अलग से निर्दिष्ट करें)			
	योग		निरंक	निरंक

द.	अन्य		
1.	वेदविद्या/परामर्श से प्राप्त आय		
2.	आरटीआई शुल्क		
3.	रॉयल्टी से होने वाली आय	2,59,064	
4.	एटी.एम से प्राप्त किराया		
5.	विविध प्राप्तियाँ (निविदा प्रपत्र की विक्री, रही की विक्री आदि)		
6.	विक्री पर लाभ/सम्पत्तियों का निराकरण		
	अ) स्वामित्व वाली सम्पत्ति		
	ब) लागत से मुक्त प्राप्त सम्पत्तियाँ		
7.	संस्थानों, कल्याण निकायों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/दान		
8.	अन्य (निर्दिष्ट करें) जब्त आस्थगित छात्रवृत्ति/बीएसएनएल रसीद/ठेकेदार जमा रसीद/ बैंक वापसी प्रभार /विविध प्राप्ति		
	योग	2,59,064	निरंक
	सकल योग (अ +ब +स +द)	3,11,534	निरंक

अनुसूची 14 - पूर्व अवधि की आय

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	राशि रुपये में
1.	शैक्षणिक प्राप्तियाँ			
2.	निवेश से आय			
3.	अर्जित ब्याज			निरंक
4.	अन्य आय	23,53,481		
	योग	23,53,481		निरंक

अनुसूची 15 : स्टॉफ भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)

■ शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ, तदर्थ स्टॉफ, मंहगाई भत्ता बकाया वेतन वृद्धि के कारण वेतन बकाया को पृथक रूप से वर्गीकृत किया गया है।

राशि रूपये में

	विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना	योग
क)	वेतन एवं मजदूरी		-				
ख)	भत्ते एवं बोनस		-				
ग)	भविष्यनिधि में अंशदान/ईपीएफ		12,86,727			13,55,836	
घ)	अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)		0				
ड)	कर्मचारी कल्याण खर्च / समयोपरि भत्ता		487			1,989	
च)	सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ / उपदान		0				
छ)	यात्रा रियायत सुविधा					40,490	
ज)	चिकित्सा सुविधा					6,109	
झ)	बाल शिक्षा भत्ता					2,54,318	
ज)	मानदेय						
ट)	कर्मचारी अंशदान (सीपीएफ में)					1,09,532	
ठ)	अवकाश नगदीकरण					54,205	
ड)	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान					3,77,370	
	योग		12,87,214			21,99,849	

अनुसूची 15 अ : कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवान्त लाभ

राशि रूपये में

		पेंशन	ग्रेच्युटी	अवकाश	योग
प्रारंभिक शेष 01.04.2020			44,00,000	30,89,060	74,89,060
जोड़: अन्य संगठनो से प्राप्त पूंजीगत योगदान					
योग (अ)			44,00,000	30,89,060	74,89,060
घटाएः वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ब)			5,47,238	4,13,010	9,60,248
शेष दिनांक 31.03.2021 (अ – ब) = (स)			38,52,762	26,76,050	65,28,812
बीमाकित मूल्यांकन के अनुसार आवश्यक प्रावधान दिनांक 31.03.2021 (द)					
i. चालू वित्त वर्ष में प्रावधान जो कि तैयार करना है			10,00,000	6,00,000	16,00,000
ii. नई पेंशन योजना में योगदान					
iii. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति					
iv. सेवानिवृत्ति पर निवास स्थान के लिए यात्रा					
v. जमा लिंकड बीमा भुगतान					
योग (स + द)			48,52,762	32,76,050	81,28,812

नोट :

- इस उपअनुसूची का योग (अ से द) सेवानिवृत्ति और सेवान्त लाभ अनुसूची 15 का होगा।
- स, द का लेखांकन उपचय आधार पर होगा और ऐसे व्यय सम्मिलित हैं जो दिनांक 31.03.2021 को देय हो गये थे परन्तु भुगतान नहीं किया गया।

अनुसूची 16 :

शैक्षणिक व्यय

राशि रूपये में

	विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना	योग
क)	राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय		निरंक			निरंक	
ख)	कार्यक्षेत्र / सम्मेलनों में भागीदारी		निरंक				
ग)	सेमिनार/कार्यशालाओं/सम्मेलनों/रिफरेशर कोर्स पर खर्च		निरंक				
(i)	पुनर्शर्या पाठ्यक्रम						
(ii)	सब के लिए वेद कक्षाएँ		1,68,360			4,72,618	
(iii)	वेदज्ञान सप्ताह		30,000			90,000	
(iv)	वेद पारायण		निरंक			8,30,298	
(v)	वेद सम्मेलन		15,22,083			31,21,771	
(vi)	वेद सेमिनार		11,28,730			20,90,417	
(vii)	पुर्वोत्तर राज्य सम्मेलन		6,54,000			14,55,304	
(viii)	वैदिक वनौषधी		8,400			1,74,871	
	योग (अ)		35,11,573			82,35,279	
घ)	नित्यग्रिहोत्री को मानदेय		38,86,000			43,68,000	
ड)	दीक्षान्त समारोह का खर्च		निरंक			29,337	
च)	प्रकाशन		39,856			37,720	
छ)	अनुसन्धान छात्रवृत्ति		निरंक			1,01,741	
ज)	पत्राचार पाठ्यक्रम		निरंक			निरंक	
झ)	अन्य (निर्दिष्ट) डिजिटल रिकार्डिंग		निरंक			7,91,296	
	योग (ब)		39,25,856			53,28,094	
	योग (अ + ब)		74,37,429			1,35,63,373	

अनुसूची 17 :

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

राशि रूपये में

विवरण		चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना	योग
अ)	आधारभूत संरचना						
अ)	विद्युत / जल प्रभार		12,42,055			12,39,399	
ब)	विज्ञापन		1,92,989			35,853	
स)	बीमा / कार के विक्रय से हानि		निरंक			25,661	
द)	किराया, दर और कर, (सम्पत्ति कर सहित)		निरंक				
ब)	संचार						
इ)	डाक एवं स्टेशनरी / टेलीफोन		91,157			1,55,051	
एफ)	टेलीफोन, फैक्स		14,381			12,677	
जी)	इन्टरनेट व्यय		71,756			71,384	
स)	अन्य						
जी)	स्टेशनरी एवं छपाई (खपत)		98,879			2,83,473	
एच)	यात्रा एवं वाहन व्यय		1,19,410			11,86,667	
आई)	हास्पिटल व्यय		निरंक				
जे)	अंकेक्षकों का मानदेय		1,54,310			1,83,985	
के)	प्रोफेशनल व्यय / विधिक व्यय		59,160			40,000	
एल)	आउट सोर्सिंग एजेन्सी को भुगतान		46,38,696			64,50,582	
एम)	विधिक व्यय		51,800			1,00,840	
एन)	स्थापना दिवस		निरंक			4,71,226	
ओ)	अन्य (निर्दिष्ट करें) / विविध प्रशासनिक व्यय		6,37,572			14,76,160	
	योग		73,72,165			1,17,32,958	

अनुसूची 18 :

परिवहन व्यय

राशि रूपये में

विवरण			चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
			योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना	योग
1	वाहन (संस्था के स्वामित्व)							
	अ)	चालू खर्च						
	ब)	मरम्मत एवं रखरखाव		35,440			34,945	
	स)	बीमा व्यय						
2	किराया / लीज पर लिया गया वाहन							
	अ)	किराया / लीज खर्च						
3	वाहन (टैक्सी) हायरिंग खर्च							
	योग			35,440			34,945	

अनुसूची 19 :

मरम्मत एवं रखरखाव

राशि रूपये में

	विवरण	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		योजना	गैर योजना	योग	योजना
क)	भवन		24,67,427		4,16,945
ख)	फर्नीचर एवं फीकचर				
ग)	संयंत्र एवं मशीनरी				
घ)	कार्यालय संयंत्र		3,56,016		3,53,603
ड)	कम्प्यूटर				
च)	प्रयोगशाला और वैज्ञानिक उपकरण				
छ)	श्रव्य दृश्य उपकरण				
ज)	सफाई सामग्री और सेवाएँ				
झ)	बुक बाईडिंग खर्च				
ज)	बागवानी				
त)	सम्पत्ति रखरखाव				
थ)	अन्य (निर्दिष्ट)				
	योग		28,23,443		7,70,548

अनुसूची 20 :

वित्तीय लागत

राशि रूपये में

विवरण		चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना	योग
अ)	बैंक खर्च						
ब)	अन्य (निर्दिष्ट करें)						
	कुल योग		निरंक			निरंक	

नोट :- यदि राशि महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, बैंक खर्च मद छोड़ी जा सकती है एवं इनका लेखाजोखा अनुसूची 17 के प्रशासनिक व्यय में किया जा सकता है।

अनुसूची 21 :

अन्य स्वर्च

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना	योग
अ) डूबत और संदिग्ध क्रहणों /अधिम के लिए प्रावधान						
ब) अप्रतिलभ्य शेष खाते में डाला गया		10,000				
स) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/सब्सिडी		35,16,77,286			50,10,55,205	
द) अन्य (निर्दिष्ट करें)						
योग		35,16,87,286			50,10,55,205	

नोट :- अन्य व्यय जैसे बढ़े खाते, प्रावधान विविध व्यय, निवेशों के विक्रय पर हानि, स्थायी परिसंपत्तियों पर हानि एवं स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय पर हानि इत्यादि वर्गीकृत होंगे एवं तदानुसार प्रकट किये जायेंगे।

अनुदान के व्यय का विवरण

	मद का नाम	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	राशि रूपये में
1.	अध्यापकों का मानदेय	16,12,17,073	14,53,02,250	
2.	वेद विद्यार्थीयों की छात्रवृत्ति	1,44,00,434	9,99,28,300	
3.	रखरखाव/आकस्मिक अनुदान	1,01,88,324	2,13,57,235	
4.	मौखिक परंपरा का संरक्षण	6,66,71,980	11,27,64,088	
5.	वेतन	1,68,82,299	1,79,37,300	
6.	पूर्वोत्तर राज्य अनुदान	1,70,60,000	2,36,80,950	
7.	परीक्षा	61,87,586	52,20,355	
8.	राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय	1,36,14,476	1,73,28,902	
9.	टीए/डीए (जीआईए)	3,35,773	9,04,633	
10.	छात्र स्वतः व्यय राशि (राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय)	5,28,000	9,30,000	
11.	छात्र स्वतः व्यय राशि (पाठशाला)	2,73,23,000	3,67,67,000	
12.	छात्र स्वतः व्यय राशि (इकाई)	1,69,20,000	1,89,34,192	
13.	कर्मचारी खर्च	3,48,341	0	
	कुल योग	35,16,77,286	50,10,55,205	

अनुसूची 22 :

पूर्व अवधि व्यय

राशि रूपये में

विवरण		चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना	योग
1.	स्थापना व्यय						
2.	शैक्षणिक व्यय						
3.	प्रशासनिक व्यय						
4.	परिवहन व्यय						
5.	मरम्मत और रखरखाव						
6.	अन्य खर्च						
	योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

अनुसूचियों से निर्मित खातें

अनुसूची 23

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा तैयारी का आधार

लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन एवं सामान्तया लेखा की उपार्जन रीति पर तैयार किये गये हैं, जब तक अन्य प्रकार से नहीं बताये गये हों।

2. राजस्व अभिज्ञान

- 2.1. प्रवेश फार्म, रायल्टी एवं बचत बैंक खातों पर ब्याज का लेखाजोखा नकद आधार पर किया गया है।
- 2.2. निवेशों पर ब्याज का लेखाजोखा प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

3. स्थाई परिसंपत्ति एवं मूल्यहास

- 3.1. स्थायी परिसंपत्तियाँ अधिग्रहण लागत जिसमें माल भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा अधिग्रहण, संस्थापन एवं चालू करने संबंधी प्रासंगिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
- 3.2. उपहार मे प्राप्त/दान की गई परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उपलब्ध घोषित मूल्य पर किया गया है। यदि अनुपलब्ध है, वर्तमान बाजार मूल्य अनुमानित मूल्य परिसंपत्ति की भौतिक दशा के आधार पर निर्धारित किया गया है। इन्हें पूँजी निधि में जमा कर प्रतिष्ठान के स्थायी परिसंपत्तियों में विलय कियागया है। संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रचलित दरों के अनुसार आरोपित किया गया है।
- 3.3. उपहार मे प्राप्त पुस्तकों का मूल्यांकन पुस्तकों पर अंकित विक्रय मूल्य पर किया गया है। जहाँ मूल्य मुद्रित नहीं है, मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।
- 3.4. जहाँ परिसंपत्तियों का पूर्णतया मूल्यहास हुआ है, तुलन पत्र में उसका अवशिष्ट मूल्य रु.1 लिया जावेगा एवं आगे उसका मूल्यहास नहीं होगा।
- 3.5. स्थायी परिसंपत्तियाँ लागत से मूल्यहास घटाकर ली गई हैं। मूल्य हास का प्रावधान मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार सीधीरेखा पद्धति से किया गया है।

4. शासकीय एवं विश्विद्यालय अनुदान आयोग

1. शासकीय अनुदान का लेखाजोखा प्रोद्भवन आधार पर किया गया है। तथापि, जहाँ अनुदान जारी किए जाने की स्वीकृति वर्ष में 31 मार्च के पूर्व प्राप्त हुई तथा वास्तविक रूप से अनुदान अगले वित्त वर्ष में जारी किया, अनुदान का लेखाजोखा प्रोद्भवन आधार पर किया गया तथा समतुल्य राशि अनुदाना से वसूली योग्य किये जाना दर्शाई गई है।

5. उद्दिष्ट निधि का निवेश एवं ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज आय

1. ऐसी निधियों के निवेश पर उपलब्ध राशियों, जो तत्काल व्यय के लिये आवश्यक नहीं हैं, अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं बाण्डस अथवा निश्चित अवधि हेतु बचत बैंकखाते में शेष राशि छोड़कर बैंक में निवेश हेतु जमा की जाती है। प्राप्त ब्याज, प्रोद्भूत एवं देय ब्याज परंतु इन निवेशों पर देय नहीं, को क्रमशः निधियों में जोड़ी जाती है।

6. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10(23 सी) के तहत प्रतिष्ठान की आय को छूट प्राप्त हैं इसलिए लेखा में कर हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

लेखा वर्ष 2020-2021

अनुसूची 24

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. चिंतामण गणेश रोड, उज्जैन स्थित प्रतिष्ठान परिसर के भवन निर्माण एवं विकास कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को दिया गया था।
2. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि को परिसंपत्ति में पूर्व से ही रु. 73,40,410/- दर्शाया गया था, परंतु अंतिम लागत राजस्व विभाग द्वारा मांग पर अंतिम रूप दी जानी है।
3. प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय संचालित रु. 16,00,000/- का अवकाश नकदीकरण एवं उपदान का प्रावधान किया गया है।
4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)(सी) के तहत प्रतिष्ठान के अधिशेष को छूट प्रदान की गई है।
5. संस्थान द्वारा संचालित वैदिक सस्वर की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं पाठशाला योजना के अंतर्गत आस्थगित छात्रवृत्ति राशि रु. 20,75,45,510/- को चालू दायित्वों में दर्शाया गया है। यह राशि विद्यार्थियों को 7 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने के पश्चात भुगतान की जावेगी।
6. प्रतिष्ठान के कार्पस फंड की कुल राशि रु. 31,85,57,932/- है।
7. अंतिम लेखों में दर्शाये गये आंकडे निकटतम रूपये में पूर्णाकित किये गये हैं।
8. अनुसूची 1 से 24 संलग्न हैं, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले तुलन पत्र एवं आय व्यय लेखा का अभिन्न हिस्सा है।
9. सेवानिवृत्ति लाभ: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, म.प्र/उज्जैन/00243791/000/0-1/1445 दिनांक 14.11.2013 के अनुसार प्रतिष्ठान द्वारा दिनांक 01.04.2014 से कर्मचारी भविष्य निधि योजन अंगीकार की गई है एवं निधि नियमित रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंतरित किये जाते हैं।

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

वित्तीय प्रपत्रों के प्रारूप (केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थान)
संस्था का नाम: महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान उज्जैन
प्राप्ति और भुगतान खाता 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए

						राशि रुपये में	
प्राप्ति		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	प्रारम्भिक शेष			1.	खर्च		
	अ)	नकद शेष	26,212		अ)	स्थापना व्यय	12,87,214
	ब)	बैंक शेष			ब)	शैक्षणिक व्यय	68,08,813
	क)	चालू खातों में			स)	प्रशासनिक व्यय	73,31,907
	ख)	जमा खातों में	2,23,39,710		द)	परिवहन व्यय	35,440
	ग)	बचत खातों में	65,19,72,531		इ)	मरम्मत एवं रखरखाव	28,23,443
2.	प्राप्त अनुदान			2.	चिह्नित एवं स्थायी निधि के लिए भुगतान		
	अ)	भारत सरकार से	45,98,60,000				
	ब)	राज्य सरकार से					
	स)	अन्य स्रोतों से (विवरण)					
	(पूँजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान यदि हो तो अलग से दर्शायें)						
3.	शैक्षणिक प्राप्तियाँ		89,884	15,864	3.	प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए भुगतान	33,25,70,652
4.	चिह्नित एवं स्थायी निधि से प्राप्तियाँ			4.	प्रायोजित फैलोशिप/छात्रवृत्ति के लिए भुगतान	-	-
5.	प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं से प्राप्तियाँ		-	5.	निवेश एवं जमा		
6.	भारतीय स्टेट बैंक खाते का शेष				अ)	चिह्नित एवं स्थायी निधि से	-
7.	प्रायोजित फैलोशिप और छात्रवृत्ति से प्राप्तियाँ		-		ब)	स्वयं की निधि से (अन्य – निवेश)	-
6.	अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा						

7.	निवेश से प्राप्तियाँ				7.	अचल सम्पत्ति और प्रगतिगत कार्य पूँजी पर व्यय			
	अ)	चिह्नित/स्थायी निधि	-			अ)	अचल सम्पत्ति	8,33,459	52,50,506
	ब)	अन्य निवेश	2,79,13,655	1,18,67,611		ब)	प्रगतिगत कार्य पूँजी	1,99,50,000	3,05,97,000
8.	ब्याज प्राप्त				8.	अन्य भुगतान वैद्यानिक भुगतान सहित बैंक शुल्क		-	
	अ)	बैंक जमा	2,55,80,631	2,73,12,420					
	ब)	ऋण एवं अग्रिम	22,000	21,000					
	स)	बैंक बचत खाते	14,18,763	5,71,659					
9.	निवेश नकदीकरण		-		9.	अनुदान की वापसी		-	
10.	अनुसूचित बैंक से सावधि जमा का नगदीकरण		-		10.	जमा एवं अग्रिम		-	
11.	जमा आय (पूर्व अवधि आय सहित) अनुलम्बक 13		-		11.	अन्य भुगतान अनुलम्बक 02		6,38,84,328	10,93,61,191
12.	जमा एवं अग्रिम अनुलम्बक 2		13,28,257	26,23,329	12.	अन्तिम शेष			
						अ)	रोकड शेष	26,212	26,212
						ब)	बैंक शेष		
						क)	चालू खाते में		
						ख)	बचत खाते में	15,17,67,248	2,23,39,710
						ग)	जमा खाते में	60,37,11,323	65,19,72,531
13.	विविध प्राप्तियाँ वैद्यानिक प्राप्तियों सहित अनुलम्बक 01		4,78,396	19,13,058					
14.	कोई अन्य प्राप्तियाँ								
	योग		1,19,10,30,039	1,33,86,07,029				1,19,10,30,039	1,33,86,07,029

अन्य प्राप्तियाँ वर्ष 2020 - 2021

	खातों के शीर्षक	2020-2021	2019-2020
1.	प्रकाशन	1,66,862	3,73,471
2.	पिछले वर्ष का व्याज अर्जित किया	2,59,064	15,32,282
3.	छात्रों की आजीवन छात्रवृत्ति	52,470	0
4.	टेलीफोन के जमा	0	7,305
	कुल योग	4,78,396	19,13,058

अनुलम्बक - 2

अन्य मदों पर भुगतान की सूची वर्ष 2020 - 2021

राशि रूपये में

	खातों के शीर्षक		2020-2021	2019-2020
1.	गत वर्ष का प्रावधान भुगतान		1,04,66,048	4,82,94,636
2.	अग्रिम		5,19,620	25,88,555
3.	चावडा जी को ग्रेन्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण का भुगतान		9,60,248	0
4.	टीडीएस		7,912	0
5.	अस्थगित छात्रवृत्ति			
	मौखिक परम्परा	1,51,93,500	5,19,30,500	5,84,78,000
	पाठशाला योजना	3,67,37,000		
	कुल योग		6,38,84,328	10,93,61,191